



क्र. 494 / प्रशा. / रा.मा.तो.वि.वि. / 2020

ग्वालियर, दिनांक- 13.10.2020

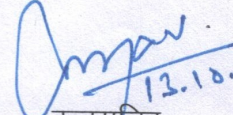
प्रति,

- ✓ 1. समस्त प्राचार्य,  
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,  
मध्यप्रदेश
2. समस्त विभागाध्यक्ष,  
विश्वविद्यालय अध्ययनशाला,  
राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला  
विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

विषय :- उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव का निराकरण।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रो. रजनीश जैन, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली का पत्र क्र. एफ. 1-7/2011 (एससीटी), दिनांक-14.09.2020 आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित है। कृपया संलग्न पत्र का अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

  
13.10.2020  
कुलसचिव

पृ. क्र. / प्रशा. / रा.मा.तो.वि.वि. / 2020 ग्वालियर, दिनांक- 13.10.2020

प्रतिलिपि :- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मान. कुलपति जी, रा.मा.तो. संगीत एवं कला विश्व., ग्वालियर।
2. गार्ड फाईल।
3. वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

कुलसचिव





ज्ञान-विज्ञान-विभूतये

प्रो. रजनीश जैन  
सचिव

Prof. Rajnish Jain  
Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)  
(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002  
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph : 011-23236288/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in

अ0शा0 पत्र संख्या एफ.1-7/2011 (एससीटी)

14 सितम्बर, 2020

विषय: उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव का निराकरण

आदरणीय महोदय/महोदय,

जैसा कि आपको ज्ञात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की लगातार निगरानी कर रहा है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत कार्यवाही करने के उद्देश्य से दिनांक 19.07.2011, 02.07.2013, 07.03.2016, 05.09.2016, 15.05.2017, 04.06.2018 तथा 28.06.2019 के पत्र जारी किए हैं।

- अधिकारी/संकाय सदस्य को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के विरुद्ध उनके सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भेदभावपूर्ण कृत्य से बचना चाहिए।
- विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा जातिगत भेदभाव की शिकायतें दर्ज करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक पेज विकसित कर सकते हैं साथ ही वे कुल सचिव/प्राचार्य के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ एक शिकायत रजिस्टर भी रख सकते हैं। यदि ऐसी कोई घटना प्राधिकरणों के ध्यान में आती है तो चूककर्ता अधिकारी/संकाय सदस्य के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी अधिकारी/संकाय सदस्य किसी भी समुदाय अथवा श्रेणी के छात्रों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं करना चाहिए।
- विश्वविद्यालय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों/शिक्षकों तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों से प्राप्त भेदभाव संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए एक समिति का गठन कर सकते हैं।

आपसे यह भी अनुरोध है कि अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के अधिकारी/संकाय सदस्य को जातिगत भेदभाव की घटनाओं के मामलों पर कार्यवाही करते हुए अधिक संवेदनशील रहने का परामर्श दें और यूजीसी के विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल (UAMP) के लिंक <https://ugc.ac.in/uamp/> पर पर विहित प्रपत्र में 25.09.2020 तक सूचना प्रदान करें।

उपयुक्त अनुदेशों को आपके विश्वविद्यालय के सभी संघटक तथा संबंध महाविद्यालयों को भी अनुवर्ती कार्यवाही के लिए परिचालित किया जाए।

सादर

भवदीय,

*रजनीश जैन*

(रजनीश जैन)

संलग्न: अधीन

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति





ज्ञान-विज्ञान विमूक्तये

प्रो. राजनीश जैन  
सचिव

Prof. Rajnish Jain  
Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)  
(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जेफर मार्ग, नई दिल्ली-110002  
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph : 011-23236288/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in

D.O. No.F.1-7/2011(SCT)

14<sup>th</sup> September, 2020

Sub:- Prevention of Caste Based Discrimination in Higher Education -reg.

Dear Madam/Sir,

As you are aware, the University Grants Commission is continuously monitoring the Prevention of Caste Based Discrimination in Higher Educational Institutions. Further, the University Grants Commission has issued letters dated 19.07.2011, 02.07.2013, 07.03.2016, 05.9.2016, 15.5.2017, 4.06.2018 and 26.05.2019 requesting you to take the following action:

- > The Officials/faculty members should desist from any act of discrimination against SC/ST students on grounds of their social origin.
- > The University/Institute/College may develop a page on their website for lodging such complaints of caste discrimination by SC/ST students and also place a complaint register in the Registrar/Principal Office for the purpose. If any such incident comes to the notice of the authorities, action should be taken against the erring official/faculty members promptly.
- > The university and colleges should ensure that no official/faculty members indulge in any kind of discrimination against any community or category of students.
- > The University may constitute a committee to look into the discrimination complaints received from the SC/ST/OBC Students /Teachers and non-teaching staff.

You are also requested to advise the officials/ faculty members of your university/ Institute to be more sensitive while dealing with incidents of caste discrimination, and provide the information as per the prescribed format, on the University Activity Monitoring Portal (UAMP) of UGC at link <https://ugc.ac.in/uamp/> latest by 25.09.2020.

The above instructions should also be circulated to all the constituent and affiliated colleges of your university for follow-up action please.

With kind regards

Yours sincerely,

(Rajnish Jain)

Encl: As above.

The Vice-Chancellor of All Universities.